भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 348

19 नवम्बर, 2019 के लिए प्रश्न

विश्व क्षुधा सूचकांक 2019

348. श्री उत्तम कुमार रेड्डी:

डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:

श्री हिबी इडन:

श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:

डॉ सुभाष रामराव भामरे:

श्री कुलदीप राय शर्मा:

श्री मलूक नागर:

श्री ए.के.पी चिनराज:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नवीनतम विश्व क्षुधा सूचकांक 2019 के अनुसार, गंभीर क्षुधा स्तर वाले राष्ट्र के रूप में श्रेणीकृत 117 राष्ट्रों में से भारत जो 102वां स्थान मिला है जो काफी निचले स्थान पर है और यदि हां, तो क्या भारत का स्थान वर्ष 2014 से नाटकीय ढ़ग से नीचे गिरा है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या उक्त रिपोर्ट के अनुसार देश की आबादी का एक महत्वपूर्ण भाग खाद्य की कमी से लगातार जूझ रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और समस्या के सभी पहलुओं की जांच के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) भारत में क्षुधा समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएसए कार्यान्वित करने के पश्चात् सरकार द्वारा क्या उपलब्धि हासिल की गई है;

(घ) एनएफएसए कार्यान्वित करते समय सरकार के समक्ष क्या चुनौतियां और कठिनाइयां आई हैं; और

(ङ) संयुक्त राष्ट्रीय संवहनीय विकास लक्ष्य प्राप्त करने हेतु भारत में क्षुधा समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्री दानवे रावसाहेब दादाराव)

(क): अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (आई एफ पी आर आई) द्वारा प्रकाशित और अक्तूबर, 2019 में जारी की गई ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार 117 देशों में भारत का क्रम 102 है।

जारी....2/-

(ख) से (ङ): वहनीय मूल्यों पर अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्नों की पर्याप्त मात्रा सुनिश्चित करते हुए मानव जीवन चक्र दृष्टिकोण में खाद्य और पौषणिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 अधिनियमित किया गया था, जो दिनांक 05.07.2013 से लागू हुआ था। इस अधिनियम में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राजसहायता प्राप्त खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए 75% तक ग्रामीण और 50% तक शहरी जनसंख्या के कवरेज का प्रावधान है; इस प्रकार देश की कुल जनसंख्या के दो-तिहाई को कवर किया गया है। इस अधिनियम में महिलाओं और बच्चों को पौषणिक सहायता प्रदान करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को गर्भावस्था और बच्चे के जन्म के छह माह बाद तक पोषक भोजन के अतिरिक्त ऐसी महिलाएं मातृत्व लाभ प्राप्त करने की भी पात्र हैं, जो 6000 रुपए से कम न हो। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे, निर्धारित पौषणिक मानदंडों के अनुसार पोषक भोजन प्राप्त करने के पात्र हैं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और सुदृढ़ करने के लिए सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सहयोग से 'सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालनों का एक सिरे से दूसरे सिरे तक कम्प्यूटरीकरण' कार्यान्वित कर रही है, जिसमें सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राशन कार्डों/लाभार्थियों के आंकड़ों का डिजिटीकरण, खाद्यान्नों की आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का कम्प्यूटरीकरण, पारदर्शिता पोर्टल एवं ऑनलाईन शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना शामिल है। आज की तारीख तक देश के कुल 23.45 करोड़ राशन कार्डों में से लगभग 85.8% को आधार नंबर से जोड़ दिया गया है। सरकार 'एक राष्ट्र एक राशन कार्ड' योजना के माध्यम से राशन कार्ड धारकों की अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी भी कार्यान्वित कर रही है, जिसके माध्यम से प्रवासी लाभार्थी अपने गृह राज्य में जारी राशन कार्ड का प्रयोग कर किसी भी उचित दर दुकान से अपनी पात्रता का खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल यह सुविधा 8 राज्यों अर्थात दो निकटवर्ती राज्यों के 4 क्लस्टरों में परिचालित की जा रही है।

देश की कमजोर आबादी के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार के लिए भारत सरकार ने अन्य अनेक उपाय किए हैं। इनमें से कुछ निम्नानुसार हैं:-

I. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रजनन और बाल स्वास्थ्य (आरसीएच) कार्यक्रम के तहत माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए विभिन्न हस्तक्षेप कार्यान्वित किए जाते है, जिनका बच्चों की पोषण की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है।

II. परिवार स्तर पर पर्याप्त रूप से आयोडीन युक्त नमक (> 15 पीपीएम आयोडीन तत्व) के सेवन को बढ़ावा देने के लिए नेशनल आयोडीन डेफ़िशियेन्सी डिसऑर्डर कन्ट्रोल प्रोग्राम (एनआईडीडीसीपी) लागू किया गया है।

जारी.....3/-

III. खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने चावल के फोर्टिफिकेशन और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से इसके वितरण पर "केन्द्रीय प्रायोजित पायलट स्कीम" अनुमोदित की है। पूर्वोत्तर, पर्वतीय और द्वीपीय राज्यों के मामले में 90% तक और शेष राज्यों के मामले में 75% तक की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

IV. भारत सरकार ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को, विशेष रूप से उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से गेहूं का आटा वितरित कर रहे हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से फोर्टिफाइड गेहूं के आटे को वितरित करने की सलाह दी है।

V. खाद्य वनस्पति तेल, नमक, दूध, आटा, मैदा और रॉ चावल के फोर्टिफिकेशन के लिए विनियमन एफएसएसएआई द्वारा प्रवर्तित किया गया है।

******